महत्वपूर्ण

संख्या- 1/2019/272/14-5-2019-03/2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परि0 अनु0-5 लखनऊः दिनांकः 16 मई, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22.00 करोड़ पौधों का रोपण।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति-2017 के प्रस्तर-2, 4 में हरित आवरण में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों, समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आन्दोलन बनाये जाने का प्राविधान है।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट-2017 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून की 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के वृक्षावरण तथा वनावरण में समेकित रूप से कुल वृद्धि 676 वर्ग0 किमी0 (वनावरण में 278 वर्ग कि0मी0 एवं वृक्षावरण में 398 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल वृद्धि) हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सफल वृक्षारोपण गतिविधियां तथा संरक्षण हेतु किये गये प्रयास हैं।

वर्ष 2019-20 में 22.00 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के शासनादेश संख्या-1359/14-5-2018-187/2017 दिनांक 06.10.2018 द्वारा रणनीति निर्धारित की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- उक्त निर्धारित रणनीति के अनुक्रम में समस्त वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करने की सामान्य परिस्थितियों में समय-सीमा (टाइम लाइन) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क- 15 जुलाई, 2019 तक न्यूनतम 15 प्रतिशत वृक्षारोपण पूर्ण किया जाय।

ख- 31 जुलाई, 2019 तक न्यूनतम 40 प्रतिशत वृक्षारोपण पूर्ण किया जाय।

ग- 15 अगस्त, 2019 तक न्यूनतम 65 प्रतिशत वृक्षारोपण पूर्ण किया जाय।

घ- 31 अगस्त, 2019 तक न्यूनतम 90 प्रतिशत वृक्षारोपण पूर्ण किया जाय।

ड- 25 मार्च, 2020 तक 100 प्रतिशत वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया जाय।

2- (अ) **ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीतिः**

(क) **ग्राम पंचायत:** प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण अभियान की मूल इकाई ग्राम पंचायत निश्चित की गयी है।

(ख) **माइक्रोप्लान (सूक्ष्म नियोजन):** प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक माइक्रोप्लान (सूक्ष्म नियोजन) विकसित कर पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण कार्य नियोजित किया जाय। समस्त ग्राम पंचायतों में विभिन्न भूमि यथा सामुदायिक, नहर, रोड, स्कूल प्रांगण, निजी कास्त आदि की भूमि पर ग्रामीणों की इच्छानुसार वृक्षारोपण हेतु सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लान) तैयार किया जाय।

(ग) ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत को नोडल इकाई मानते हुये उसके स्तर से मनरेगा गाईडलाइन्स के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हुये हल्का वन रक्षक को ग्राम पंचायत में विशिष्ट आमंत्री के रूप में नामित किया जाय।

(घ) 'वृक्ष अभिभावक' **(Tree Guardian):** "ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु विभागों व ग्रामीणों के मध्य संवाद स्थापित कर रोपण कार्य पूरा कराने व सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम रोजगार सेवक को वृक्ष अभिभावक **(tree guardian)** के रूप में नामित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई ग्राम पंचायतवार माइक्रोप्लान की वन विभाग से भिन्न विभागों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नवत श्रेणियां बनायी गयी हैं-

i. **श्रेणी 1- माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक/व्यक्ति जिनके द्वारा वृक्षारोपण स्वयं के संसाधन द्वारा किया जायेगा:** वन विभाग द्वारा ऐसे वृक्षारोपण के संबंध में अभिलेखीकरण (Documentation) का कार्य किया जायेगा।

ii. **श्रेणी 2- माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक/व्यक्ति, जिन्हें उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा:** "माइको प्लान में चिन्हित कृषक/व्यक्ति, जो मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा-5 के अन्तर्गत उल्लिखित सूची में सम्मिलित है, उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा। इस श्रेणी के वृक्षारोपण से ग्राम्य विकास विभाग के 10.00 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य समायोजित होगा।"

iii. **श्रेणी 3- माइक्रोप्लान में चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों की सामुदायिक भूमि तथा अन्य राजकीय विभागों की भूमि पर वृक्षारोपण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा तथा पौध वन विभाग द्वारा आपूर्ति की जायेगी:** इस श्रेणी के वृक्षारोपण के सापेक्ष सामान्यतः ऐसे विभाग यथा-ग्राम पंचायत विभाग के 01 करोड़, राजस्व विभाग के 01 करोड़, सहकारिता विभाग के 0.04 करोड़, तथा श्रम विभाग के 0.02 करोड़, लोक निर्माण विभाग के 0.20 करोड़ सिंचाई विभाग के 0.120 करोड़, विद्युत विभाग के 0.04 करोड़, रेशम विभाग के 0.04 करोड़, कृषि विभाग के 0.32 करोड़, उद्यान विभाग के 01 करोड़, पशुपालन विभाग के 0.05 करोड़, शिक्षा विभाग के 0.96 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के 0.08 करोड़, पुलिस विभाग के 0.05 करोड़ तथा अन्य विभागों, जिनके अपने परिसर हो, को संतृप्त करते हुए लक्ष्य समायोजित होंगे।

iv. **श्रेणी 4- वन विभाग द्वारा वन भूमि, अन्य राजकीय भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा:** इस श्रेणी के वृक्षारोपण में वन विभाग के 07 करोड़ का लक्ष्य समायोजित होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ब) **शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीतिः**

वर्ष 2019-20 में शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतवार माईक्रोप्लान से आवास विकास के 0.05 करोड़, नगर विकास के 0.30 करोड़, उद्योग के 0.06 करोड़, औद्योगिक विकास के 0.04 करोड़, रक्षा विभाग के 0.03 करोड़, रेलवे विभाग के 0.05 करोड़ एवं परिवहन विभाग के 0.02 करोड़ विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।

इस प्रकार उपरोक्त रणनीति से प्रदेश के 22 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

2- **वृक्षारोपण हेतु वित्तीय आवश्यकता:**

(क) **ग्रामीण क्षेत्र:**

- **श्रेणी 1-** कोई वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।
- **श्रेणी 2** एवं श्रेणी 3- वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त विचार-विमर्श के उपरान्त वर्ष 2019-20 के मनरेगा श्रम बजट में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा प्राविधान कराया जायेगा।
- **श्रेणी 4-** वन विभाग द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जायेगा।

(ख) **शहरी क्षेत्रः**

सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षारोपण अपने वित्तीय संसाधनों से किया जायेगा।

3- **पंजीकृत किसानों के द्वारा अनिवार्यतः 10 पौधे लगाये जाय:** प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत लगभग 02 करोड़ किसान कृषि कार्यों में सरकार से अनुदान व सहयोग प्राप्त करते हैं। इन पंजीकृत किसानों द्वारा 10 पौधों का रोपण अनिवार्य किया जाना है, ताकि इन पौधों के रोपण के साथ-साथ उनके अनुरक्षण की भी व्यवस्था कृषकों के द्वारा आसानी से की जा सके।

4- **औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सामाजिक उत्तरदायित्व (सी0एस0आर0):** विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम को सरस, सहभागी एवं जन उपयोगी बनाया जायेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी जो प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी आमंत्रण देकर इस वृक्ष महाकुम्भ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा उनसे प्राप्त वित्तीय सहयोग का उपयोग वृक्षारोपण के विभिन्न क्रिया-कलापों में किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- **जियो-टैगिंग:** वृक्षारोपण कार्य की प्रमाणिकता बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुये जी0पी0एस0 के माध्यम से जियो-टैगिंग की जाय।

6- **वृक्षारोपण हेतु अन्तविभागीय समन्वय के लिये समीक्षा की प्रक्रिया:** इस कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

I. जिलाधिकारी द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण सम्पन्न कराने हेतु जिला वृक्षारोपण समिति की पाक्षिक बैठक का आयोजन किया जाय।

II. मण्डलायुक्त द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण मासिक रूप से किया जाय।

III. प्रमुख सचिव (वन व पर्यावरण) के नेतृत्व में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें समस्त कार्यदायी विभागों के प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति में विभागवार प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

IV. मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में समस्त जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों की आयोजित पाक्षिक/साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में वृक्षारोपण की विभागवार सघन प्रगति समीक्षा की जायेगी।

7- **स्वतन्त्र मूल्यांकन (थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग):** वृक्षारोपण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा कराये गये कार्यों का अनुश्रवण किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता व सफलता के मानक का प्रथम स्तर होता है। इस वृक्षारोपण का भी तीसरी व स्वतन्त्र एजेन्सी से अनुश्रवण व मूल्यांकन आवश्यक है।

वर्तमान में भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून सेटलाइट इमेज के माध्यम से वृक्षारोपण व वनावरण के परिवर्तन का द्विवार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1987 से निरन्तर प्रकाशित कर रहा है। साथ ही देश में कैम्पा के अंतर्गत कराए गए वृक्षारोपण का ग्रीन ई-वॉच (Green E-Watch) के माध्यम से अनुश्रवण व मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। अतः इस कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून/अन्य ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से "थर्ड पार्टी" द्वारा अनुश्रवण व मूल्यांकन कराया जाय।

8- **कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ऑकलन:** रोपित किये जाने वाले पौधों द्वारा भविष्य में वातावरण में विद्यमान कार्बन डाईऑक्साइड को कार्बन के अन्य स्वरूपों में दीर्घ काल हेतु संचयित किया जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। वर्ष 2019 के वर्षाकाल में रोपित किये जाने वाले 22 करोड़ पौधों द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आकलन भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था के माध्यम से ही कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- **<u>कृषि वानिकी के अन्तगत रोपित किये जाने वाले पौधे यथा पॉपुलर को वृक्ष महाकुम्भ के रोपण में सम्मलित किया जाना:</u>** प्रदेश के पश्चिमी जनपदों यथा बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, नोयडा, हापुड, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर आदि में शीतकाल में पा ॅपुलर प्रजाति का वृक्षारोपण प्रचलित है, क्योंकि इन जनपदों में प्रकाष्ठ आधारित उद्योग यथा प्लाईवुड (PLYWOOD), विनियर (VENEER) उद्योग पूर्व से स्थापित है तथा इन उद्योगों के उत्पाद हेतु आसपास में स्थापित बाजार हैं। इस हेतु कृषक अपने स्वयं की निजी खेत, मेड़ आदि पर शीतकाल में लगभग प्रतिवर्ष 01 करोड़ पॉपुलर प्रजाति की पौध रोपित करते हैं तथा प्रत्येक 6-7 वर्ष के पश्चात इन वृक्षों को प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों को बेच दिया जाता हैं। इससे कृषकों के आय की वृद्धि होगी। अतः वर्ष 2019-20 के वृक्षारोपण लक्ष्य में शीतकाल (दिसम्बर 2019 से मार्च 2020) में रोपित पापलर आदि के रोपण को भी सम्मिलित किया जाय।

10- **<u>चारा प्रजातियों का रोपण:</u>** आर्थिक रुप से उपयोगी प्रजातियों तथा विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिकि जोन में उगने वाले चारा प्रजातियों के रोपण को बढावा देने हेतु ज्ञान-साथी (Knowledge Partner) के रुप में प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे-केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (NBRI), राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (CIMAP), भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (ICAR- Indian Grassland and Fodder Research Institute), उद्यान (Horticulture) आदि को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण महाकुम्भ में कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास है।

वृक्षारोपण महाकुम्भ के अन्तर्गत पशुओं हेतु चारा के लिये शहतूत, सहजन, देशी बबूल, सीरस, जंगल जलेबी, अगस्त, कचनार, बेर, शीशम व खेजड़ी आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण भी किया जाय।

11- **<u>सहायतित प्राकृतिक पुर्नजनन:</u>** ऐसे अवनत वन, जो जैविक एवं अन्य दबाव के कारण प्राकृतिक रूप से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उनके स्थापना में सुरक्षा तथा सांकेतिक रुप में प्रबन्ध कार्य योजना के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों में उपलब्ध प्रजातियों का रोपण तथा प्राकृतिक शस्य के संवर्द्धन हेतु कार्य किया जाना आवश्यक है। उक्त हेतु साल वनों तथा साल वनों के अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्रों में किया जाने वाला सहायतित प्राकृतिक पुर्नजनन (ए0एन0आर0) वृक्षारोपण लक्ष्य में शामिल किया जाये तथा इसमें अधिकतम 200 पौध प्रति हेक्टेयर के अनुसार आगणन किया जायेगा। इसकी संख्या की गिनती तभी की जायेगी जब इसे विशिष्ट परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- **ऑक्सी ईको कार्ड:** वृक्ष महाकुम्भ में पौध रोपण करने वाले कृषकों को ऑक्सी ईको कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें उनके द्वारा लगाये गये पौधों की संख्या, प्रजाति का नाम तथा रोपण वर्ष अंकित होगा। रोपित व्यवसायिक प्रजातियों (खैर,सागौन आदि) के पातन में प्राथमिकता दी जायेगी।

13- **अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग:** वृक्षारोपण के प्रभावी अनुश्रवण, सूचना का आदान-प्रदान, सूचना का संकलन, पौध रोपण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग, ड्रोन, मोबाइल एप्प, पी0एम0एस0, एन0एम0एस0 व अन्य उपयोगी साफ्टवेयर, सोशल मीडिया आदि का नियमानुसार क्रय एवं उपयोग इस कार्य में किया जाय, जिससे कार्यो के सम्पादन में अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकें।

14- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वृक्षारोपण अभियान के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु वन विभाग की पौधशालाएं सेंटर आफ एक्सिलेंस (Centre of Excellence) होगी, जहॉ वृक्षारोपण कार्यक्रम का तकनीकी प्रशिक्षण ग्राम प्रधान, वृक्ष अभिवाहक (Tree Guardian) विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिको तथा कृषकों को दिनांक 15-06-2019 तक दिया जायेगा।

15- **वित्तीय व्यवस्थाः-** वृक्षारोपण महाअभियान में वन सर्वेक्षण संस्थान/ अन्य ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से थर्ड पार्टी अनुश्रवण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आंकलन, जी0आई0एस0 लैब का विकास, वृक्षारोपण का शत-प्रतिशत ऑडिट, माइक्रोप्लान निरूपण/नियोजन पर व्यय, प्रचार-प्रसार कार्य, पारितोषिक वितरण, आधुनिक सूचना तकनीक का प्रयोग आदि कार्य किये जाने है। अभियान में उक्त कार्यो पर होने वाले व्यय के वहन हेतु आवश्यक धनराशि वन एवं वन्यजीव विभाग को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अभियान के आयोजन में मितव्ययिता रखी जाय।

16- **मीडिया प्लानः** वर्ष 2019-20 में किये जाने वाले 22.00 करोड़ पौधरोपण हेतु सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुये वृक्षारोपण को जन आन्दोलन चलाकर अभियान के रूप में वृक्षारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का वृहद प्रचार-प्रसार किया जाय। वृक्षारोपण के इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिये सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाय। कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदेश के समस्त दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों के माध्यम से किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वृक्षारोपण अभियान से जुड़े विभागों के प्रमुख सचिवों द्वारा आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु उक्त आदेश के क्रम में अपने विभागाध्यक्षों को अलग से आदेश निर्गत करेगें।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेशों का कृपया कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

संख्या- 1/2019/272(1)/14-5-2019-03/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, ग्राम्य विकास/ पंचायती राज/ राजस्व/ आवास/ औद्यौगिक विकास/ नगर विकास/ लोक निर्माण/ सिंचाई/ रेशम विभाग/ कृषि/ पशुपालन/ सहकारिता/ उद्योग/ विद्युत/ माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ श्रम/ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/ परिवहन/ रेलवे/ रक्षा/ उद्यान/ पुलिस को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
4- समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
5- समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।